12– यूनिपोल की स्वीकृति के 15 दिन के अन्दर पूरे वर्ष का शुल्क देय होगा।

यह कि उपविधि विज्ञापन शुल्क उपविधि 2023 कहीं जायेगी। जो सरकारी गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी शुल्क अदा न करने की स्थिति में इस शुल्क की वसूली भू राजस्व की भांति की जा सकेगी।

शास्ति

नगरपालिका अधिनियम 1916 की धारा-299(1) में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत इस नियमावली का पालन न करने वाले व्यक्ति को अधिकतम रु0 1,000.00 (एक हजार) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जा सकेगा यदि वह निरन्तर अपराध जारी रखता है, तो रु0 200.00 (दो सौ रुपया) प्रतिदिन अर्थदण्ड किया जा सकेगा।

(हा0) अस्पष्ट,
अध्यक्ष,
नगरपालिका परिषद् शिकारपुर,
जनपद-बुलन्दशहर।

कार्यालय, नगरपालिका परिषद्, शिकारपुर, जनपद-बुलन्दशहर

09 फरवरी, 2024 ई0

सं0 156 / न0पा0प0शि / 2024–उ0प्र0 अधिनियम, 1916 की धारा-298 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगरपालिका परिषद्, शिकारपुर, जनपद-बुलन्दशहर के सीमा हेतु ''विविधकर (शुल्क) उपविधि नियमावली 2023'' प्रस्तावित करती है। उपरोक्त नियमावली की धारा-301 की आपेक्षानुसार उपविधि तैयार की गई है जो नगरपालिका परिषद् शिकारपुर की बोर्ड बैठक दिनांक 23 जून, 2023 के प्रस्ताव सं0-8, 9, 12 में स्वीकृत है। नगरपालिका परिषद् शिकारपुर द्वारा प्रस्ताव पारित होने पर वित्तीय-वर्ष 2023-24 उपविधि कहलायी जायेगी। नगरपालिका परिषद् शिकारपुर की सीमार्न्तगत लगाये जाने वाले विविधकर हेतु निम्न विहित रीति से तैयार कराकर अमर उजाला, समाचार, पत्र में दिनांक 02 सितम्बर, 2023 एवं दैनिक विशाल विश्व मानव दिनांक 03 सितम्बर, 2023 में प्रकाशन इस आशय से किया गया कि जिस व्यक्ति को उक्त उपविधि के सम्बन्ध में आपत्ति / सुझाव हो तो अपनी आपत्ति / सुझाव नगरपालिका परिषद् शिकारपुर के कार्यालय में सूचना प्रकाशन के एक माह के भीतर लिखित रूप से कार्यदिवस में प्रस्तुत कर सकते है। परन्तु प्रकाशन के निर्धारित अवधि में किसी भी प्रकार की आपत्ति / सुझाव इस कार्यालय को प्राप्त नही हुई है। अतः कार्यालय नगरपालिका परिषद् शिकारपुर की बोर्ड बैठक दिनांक 26 दिसम्बर, 2023 को यह अपनी मूल रूप से सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया, यह उपविधि गजट में प्रकाशन तिथि से प्रभावी मानी जायेगी।

''विविधकर (शुल्क) उपविधि नियमावली 2023''

उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम 1916 की धारा-298 जो नगरपालिका परिषद् पर प्रवृत्त है के अन्तर्गत नगरपालिका परिषद्, शिकारपुर, जनपद-बुलन्दशहर में ''विविधकर (शुल्क) उपविधि नियमावली 2023'' कहलायेगी, जिसका विवरण निम्नानुसार है–

1. संक्षिप्त नाम प्रसार एवं प्रारम्भ–

1–यह उपविधि ''विविधकर (शुल्क) उपविधि नियमावली 2023'' कहलायेगी।

2–नगरपालिका परिषद्, शिकारपुर की सीमा मे प्रवृत्त होगा।

3–यह उपविधि उ0प्र0 राजपत्र में प्रकाशन होने के दिनांक से नगरपालिका परिषद्, शिकारपुर, जनपद-बुलन्दशहर मे प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषाएं–विषय या प्रयोग में कोई शर्त प्रतिकूल न होने पर इस अधिनियम में उल्लिखित शब्द का अर्थ यह पढ़ा व समझा जायेगा।

1—अधिनियम का तात्पर्य ''उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916'' से है।

2—अधिशासी अधिकारी का तात्पर्य **''नगरपालिका परिषद्, शिकारपुर, जनपद-बुलन्दशहर के अधिशासी अधिकारी''** से है।

3—नगरपालिका का तात्पर्य ''नगरपालिका परिषद् शिकारपुर से है।

4—अध्यक्ष/प्रशासक का तात्पर्य **''नगरपालिका परिषद्, शिकारपुर के अध्यक्ष/प्रशासक''** से है।

3. विविधकर (शुल्क की दरें—

1—गृहकर नकल जारी करने पर शुल्क रु0 250/— प्रति नकल/प्रति पंचवर्षीय/प्रति स्टाम्प, अन्य प्रमाण-पत्र शुल्क रु0 100/— प्रति प्रकरण देय होगा।

2—टैंकर शुल्क (नगरपालिका सीमा में प्रतिदिन छोटा टैंकर शुल्क रु0 500/— व बड़ा टैंकर शुल्क प्रति चक्कर 1,000/— (नगरपालिका सीमा से बाहर) 10 कि0मी0 तक रु0 1,500.00 प्रतिदिन किराया एवं टैंकर स्वयं अपने साधन से ले जाना व पहुंचाना होगा।

3—सीवरेज टैंकर उपयोग शुल्क (नगरपालिका सीमा अन्तर्गत) रु0 1,500/प्रति चक्कर/प्रति टैंकर।

4—सीवरेज टैंकर उपयोग शुल्क (नगरपालिका सीमा के बाहर अधिकतम 10 कि0मी0 तक) रु0 2,000/— प्रति चक्कर/प्रति टैंकर।

5—नाली/नाला या सार्वजनिक जगह पर गन्दगी फैलाने पर पेनाल्टी शुल्क रु0 100/प्रति प्रकरण।

6—नाली/नाला या सार्वजनिक जगह पर गन्दगी फैलाने की पुनरावृत्ति करने पर पेनाल्टी शुल्क रु0 500/— प्रति प्रकरण।

7—पथ विक्रेता के पंजीकरण कराने पर शुल्क रु0 500/— प्रति प्रकरण।

8—पथ विक्रेता पंजीकरण का नवीनीकरण शुल्क रु0 100/— देकर पथ विक्रेता को प्रति वर्ष कराना होगा जो 1 अप्रैल से अगले वर्ष की 31 मार्च तक मान्य होगा।

9—उपभोक्ता द्वारा जल संयोजन का विच्छेदन कराने पर शुल्क रु0 500/— प्रति प्रकरण देय होगा।

10—नगरपालिका परिषद् द्वारा अदेय प्रमाण-पत्र जारी करने पर शुल्क रु0 500/— प्रति प्रकरण देय होगा।

11—भैंस, गाय (सूअर) इत्यादि पशु पालने पर रु0 50 प्रतिमाह प्रति-पशु, पशुपालकों को नगरपालिका को देंगे।

12—भेड़, बकरी आदि पशु पालने पर रु0 20 प्रतिमाह, प्रतिपशु पशुपालक नगरपालिका को देंगे।

13—नगरपालिका सीमा में स्थित पेट्रोल पम्प पर व्यवसायिक शुल्क रु0 10,000/— वार्षिक।

14—नगरपालिका सीमा में स्थित कोचिंग संस्थानो पर व्यवसायिक शुल्क रु0 3,000/— वार्षिक।

15—नगरपालिका सीमा में व्यवसाय रेस्टोरेन्ट/ढाबा पर व्यवसायिक शुल्क रु0 5,000/— वार्षिक।

16—नगरपालिका सीमा में चलने वाले ई-रिक्शा/गाडी पर लाइसेंस शुल्क रु0 600/— वार्षिक।

17—नगरपालिका सीमा में स्थित आटा चक्की/धान काटने/निकालने वाली मशीन/तेल पेराई मशीन/रूई धुनाई मशीन पर व्यवसायिक शुल्क रु0 1,000/— वार्षिक।

18—नगरपालिका सीमा में अधिष्ठापित बिजली के ट्रान्सफार्मर पर शुल्क रु0 1,000/— वार्षिक।

19—नगरपालिका सीमा में अधिष्ठापित बिजली के पावर हाउस/सब स्टेशन पर शुल्क रु0 10,000/— वार्षिक।

20–भैंस/गाय/सुअर इत्यादि सभी प्रकार के पालतू जानवर को खुला छोड़ने पर पकडे जाने पर शुल्क रु0 1,000/– प्रति प्रकरण/प्रतिदिन पुनरावृत्ति पर 1,500 रु0 प्रति प्रकरण/प्रतिदिन।

21–नगरपालिका सीमा में स्थित नाली/नाला/सड़क/अन्य सार्वजनिक सम्पत्ति पर अवैध कब्जा पाये जाने पर पेनाल्टी शुल्क रु0 1,000/– तथा पुनरावृत्ति करने पर रु0 5,000/– प्रकरण।

22–नगरपालिका सीमा में स्थित व व्यवसाय करने वाले छोटे दुकानदारों (200 वर्ग फिट क्षेत्रफल या उससे कम कवर्ड एरिया) से व्यवसायिक शुल्क रु0 500.00 मासिक।

23–नगरपालिका सीमा में स्थित व व्यवसाय करने वाले बड़े दुकानदारों (200 वर्ग फिट क्षेत्रफल या उससे कम कवर्ड एरिया) से व्यवसायिक शुल्क रु0 800.00 मासिक।

24–छोटी बाउण्ड्री युक्त भू-खण्ड या मकानो के मध्य खाली भू-खण्ड पर पड़ोसियों के द्वारा कूडा फेंकने को दृष्टिगत रखते हुए उसके द्वारा अपने खाली भू-खण्डो एवं छोटी बाउण्ड्रीवाल पर न्यूनतम 2 मीटर ऊँची बाउण्ड्रीवाल निर्मित न कराने पर पेनाल्टी शुल्क रु0 1,000/– प्रति प्रकरण।

25–शहरी फेरी नीति के अन्तर्गत निर्धारित बाजार क्षेत्र में लगायी जाने वाली दुकानो से शुल्क नगरपालिका परिषद् शिकारपुर द्वारा बाजार हेतु चिन्हित उक्त बाजार क्षेत्र में लगने वाली छोटी दुकानो से रु0 50/– प्रतिदिन/प्रति बाजार की दर से एवं बड़ी दुकानो से रु0 100/प्रतिदिन/प्रति बाजार शुल्क वसूली की जायेगी। भविष्य में नगरपालिका परिषद् शिकारपुर में वेडिंग जोन/बाजार हेतु और भी स्थल चिन्हित होने पर उन स्थलो पर भी शहरी फेरी नीति के अन्तर्गत उपरोक्तानुसार शुल्क की दरें प्रभावी मानी जायेगी। शहरी फेरी नीति के अन्तर्गत चिन्हित बाजार क्षेत्र मे वसूली या भविष्य में बाजार क्षेत्र हेतु चिन्हित होने वाले अन्य स्थलो पर शुल्क की वसूली सरकारी कर्मियों से सीधे करायी जायेगी या वार्षिक ठेका नीलामी/निविदा के माध्यम से की जायेगी।

26–नगरपालिका सीमा में स्थित मोटर साइकिल, कार, ट्रैक्टर आदि एजेन्सी का व्यवसायिक शुल्क रु0 5,000.00 वार्षिक।

27–नगरपालिका सीमा में या सीमा से बाहर होने पर भूमि से सम्बन्धित अनापत्ति प्रमाण-पत्र शुल्क रु0 500 प्रति प्रकरण।

28–नगरपालिका परिषद् शिकारपुर सीमा में गलियों में बांधे गये जानवरों को पकडे जाने पर रु0 250 प्रति प्रकरण पुनरावृत्ति करने पर रु0 500 जुर्माना देय होगा।

29–डोर टू डोर कूडा कलेक्शन यूजर चार्ज के रूप में घरेलू शुल्क रु0 30.00 प्रतिमाह व्यवसायिक रु0 100.00 प्रति माह प्रति प्रकरण तथा गेस्ट-हाउस व वल्क वेस्ट जनरेटर रु0 500.00 प्रति गेस्ट-हाउस प्रति बुकिंग।

30–नगरपालिका परिषद् शिकारपुर सीमान्तर्गत खुले में शौच करते पकड़े जाने पर जुर्माना शुल्क रु0 200.00 प्रति व्यक्ति तथा पुनरावृत्ति करते पाये जाने पर जुर्माना शुल्क रु0 500.00 प्रति व्यक्ति।

31–नगरपालिका सीमा में स्थित सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालय के प्रयोग हेतु प्रति व्यक्ति रु0 2.00 एवं शौचालय तथा बाथरूम के प्रयोग हेतु रु0 5.00 प्रति व्यक्ति देय होगा।

32–अनापत्ति प्रमाण-पत्र वार्षिक शुल्क–

	रुपये–
(1) मछली थोक बिक्री	1,000.00
(2) मछली फुटकर बिक्री	500.00
(3) फल थोक बिक्री	1,000.00

(4) फल फुटकर बिक्री	500.00
(5) सब्जी थोक बिक्री	300.00
(6) सब्जी फुटकर बिक्री	100.00
(7) अंण्डा थोक बिक्री	1,000.00
(8) अंण्डा फुटकर बिक्री	500.00
(9) मुर्गा थोक बिक्री	2,000.00
(10) मुर्गा फुटकर बिक्री	1,000.00
(11) मास बकरा, बकरी आदि बिक्री	1,500.00
(12) मास, भैंस, भैंसा, कटरा आदि बिक्री	2,000.00
(13) अन्य अनापत्ति प्रमाण-पत्र शुल्क	1,000.00

33– नगरपालिका परिषद् शिकारपुर की सीमान्तर्गत मौरंग/सीमेन्ट/सरिया आदि हार्डवेयर/भवन सामग्री विक्रेताओ पर व्यवसायिक शुल्क रु0 10,000.00 वार्षिक।

34–टैम्पो, कार तथा बस स्टैण्ड की शुल्क की दरें।

(1) बडी बस रु0 200.00 प्रतिदिन, प्रति वाहन।

(2) मिनी बस रु0 100.00 प्रतिदिन, प्रति वाहन।

(3) मैजिक कार/जीप/थ्री व्हीलर/विक्रम इत्यादि शुल्क रु0 50.00 प्रतिदिन।

35– नगर सीमा के अन्तर्गत आने वाले स्कूल, कॉलेज, विश्व-विद्यालय की बस, मिनी बस, मैजिक कार, जीप आदि छात्र-छात्राओं को लेकर आने-जाने वाले वाहनों का पालिका में पंजीकरण प्रतिवर्ष कराना अनिवार्य होगा। जिनकी दरें निम्नप्रकार होंगी।

(1) बस का पंजीकरण शुल्क– रु0 1,500/– प्रतिवर्ष, प्रति वाहन

(2) मिनी बस का पंजीकरण शुल्क– रु0 1,000/– प्रतिवर्ष, प्रति वाहन

(3) मैजिक कार, जीप आदि का पंजीकरण शुल्क–रु0 800/– प्रतिवर्ष, प्रति वाहन

36– नगर सीमा के अन्तर्गत कबाड़े की दुकानों का पंजीकरण शुल्क रु0 5,000/– प्रतिवर्ष प्रति, कबाड़े की दुकान खोलने से पूर्व पालिका से स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा। स्वीकृति शुल्क रु0 1,000/– प्रति दुकान।

37– नगर सीमा के अर्न्तगत आर0ओ0 प्लान्ट लगाने पर पंजीकरण शुल्क रु0 5,000/– प्रतिवर्ष तथा पंजीकरण को नवीनीकरण शुल्क रु0 2,500/– प्रतिवर्ष, प्रति प्रकरण आर0ओ0 प्लान्ट लगाने से पूर्व पालिका से स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा।

नोट– उपरोक्त ''नगरपालिका परिषद् शिकारपुर विविधकर (शुल्क) उपविधि नियमावली 2023'' उ0प्र0 राजपत्र में प्रकाशन/मुद्रण की तिथि से प्रभावी होगी। इस उपविधि में उल्लिखित विविधकर (शुल्क) की दरो में एवं पूर्व प्रकाशित नगरपालिका परिषद् शिकारपुर की उपविधि की दरों में कोई विरोधाभास हो तो विविधकर (शुल्क) उपविधि नियमावली-2023 प्रभावी मानी जाये।

(हा0) अस्पष्ट,
अध्यक्ष,
नगरपालिका परिषद् शिकारपुर,
जनपद-बुलन्दशहर।